



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 27, सोमवार शाके 1941—जून 17, 2019
Jyaistha 27, Monday, Sakā 1941—June 17, 2019

भाग 1 (क)

नियुक्तियां एवं छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 31, 2019

संख्या एफ-7(76)रा लसा/जे.एस./संस्था-पी.एल.ए.सदस्य नि./2017/114.-माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा को राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या प.8(1) विधि-2/विरस(39)/2002/ पार्ट/1111 जयपुर, दिनांक 21.05.2019 द्वारा अनुमोदन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्सम्बन्धित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यो की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तो) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय अलवर पर संस्थापित जनोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के सदस्य (अन्य व्यक्ति) पद पर श्री पंकज गोयल, अधिवक्ता पुत्र श्री भगवान सहाय गोयल को दो वर्ष की कार्यकाल अवधि के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अध्यायधीन एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है।

इस आदेश द्वारा नियुक्त स्थायी लोक अदालत के सदस्य को फीस व अन्य सुविधायें The Permanent Lok Adalat (Other terms and conditions of Appointment of Chairman and other persons) Rules, 2003 तथा समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेश व स्वीकृतियों के अनुरूप देय होगी।

श्री पंकज गोयल, अधिवक्ता पुत्र श्री भगवान सहाय गोयल को इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति समाप्त समझी जावेगी।

आज्ञा से,
अशोक कुमार जैन,
सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।